

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	कुरडाराम यादव, राउमावि खादूश्यामजी, सीकर	अंग्रेजी	15.03.56	31.03.16
2	दीनदयाल कलाल, राउमावि मोडकस्टेशन, कोटा	अंग्रेजी	06.05.56	31.05.16
3	सभाजीत सिंह, राउमावि भदाना, कोटा	अंग्रेजी	15.05.56	31.05.16
4	चन्द्रकान्ता सहदेव राबाउमावि रेजीडेन्सी, उदयपुर	अंग्रेजी	16.05.56	31.05.16
5	सरोज कुमार जोशी, राउमावि पी.सी.बी. सुजानगर, चूरु	अंग्रेजी	05.07.56	31.07.16
6	शम्भूदयाल वर्मा, राउमावि खातोली, कोटा	अंग्रेजी	06.07.56	31.07.16
7	विष्णु चन्द शर्मा, राउमावि मासलपुर, करौली	अंग्रेजी	01.08.56	31.07.16
8	कमला कान्त शर्मा, राउमावि खोहरामुल्ला, दौसा	अंग्रेजी	01.09.56	31.08.16
9	राम कुमार श्रीवास्तव, राउमावि बाड़ी, धौलपुर	अंग्रेजी	01.10.56	30.09.16
10	रघुनाथ सिंह शेखावत, राउमावि सिरोही, सीकर	अंग्रेजी	02.11.56	30.11.16
11	अरुणा आदन्द, राउमावि घासोली, अलवर	अंग्रेजी	25.12.56	31.12.16
12	रमेश कुमार भरद्वाज, राउमावि बून्दी	अंग्रेजी	18.01.57	31.01.17
13	विमला व्यास, से.मु.मा. राबाउमावि भीलवाड़ा	अंग्रेजी	10.03.57	31.03.17
14	रूपीराम, राउमावि बघेरीकलां, अलवर	अंग्रेजी	22.03.57	31.03.17
15	श्रीप्रकाश तिवाड़ी, राउमावि खैरथल, अलवर	अंग्रेजी	25.03.57	31.03.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)


आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/से.नि./अंग्रेजी/2015-16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

दिनांक : 20/4/16

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
6. संबंधित संस्था प्रधान क्रम संख्या 02, 03, 06 एवं 07 पर अंकित सम्बंधित कार्मिक से 10 रु के स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर